

337797

दिनांक ५ - ११ - १८

विषय - जेष्ठ भुक्ताय सिंह

विषय - मि - विप्लव सिंह

जेष्ठ - मिश्रा (रुई)

पत्रांक - १०००००

विद्यार्थी संख्या १०००००

निष्पत्ति २०१८

मार्गदर्शक

संख्या - १०००००

१०००००=००

(संख्या) १००००० (रुई)

प्रमाण सन्नेवाला पदाधिकारी

१७-२-१८

पत्रांक

संख्या १०००००

Annex

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to विश्व विधान सभा (Name of the House),
from १०५ अमरावती विधान Constituency.

I, Omprakash Singh (name of candidate), son/daughter/wife of Chir. Sankar Singh aged 51 years, resident of Vill. Miriga, Khurd P.O. - Odar, P.S. - Sankar, Dist. Rajnagar a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under:-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at NO (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on _____ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at this the day

the day
I identify the department who has
the A.T.U.R.T. in my presence

DEPONENT

प्ररूप 2ख
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

..... (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन



से
हुए
में
मी)
का
करें

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए 205 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम श्री प्रकाश सिंह पिता/माता/

पिता का नाम श्री श्रीकांत सिंह उसका डाक पता 540 - मि. रिमों खुर्द को. श्रीकांत

..... उसका नाम 205 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

तारीख प्रस्तापक के हस्ताक्षर

..... प्रकाश

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 205 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम श्री प्रकाश सिंह पिता/माता/

पिता का नाम श्री श्रीकांत सिंह उसका डाक पता 540 - मि. रिमों खुर्द को. श्रीकांत उसका नाम 205 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. में क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपरोक्त है, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं०			
1	2	3	4	5

1.	8044	90 714	राजेश कुमार	20-02-18
2.	205, 7444	650	इन्द्र प्रसाद	20/02/18
3.	7444	150	इमर अहमदी	20/02/18
4.	8244	644	समिन्दास सिंह	20/02/18
	8244	735	अतिषा कुंवर	20/02/18
	8244	776	राजेश सिंह	20/02/18
5.	8244	766	राजेश कुमार	20/02/18
6.	8244	628	राजेश सिंह	20/02/18
7.	7244	141	बाबुलाल शर्मा	20/02/18
8.	7644	392	गन्धर्वा शर्मा	20/02/18
9.	4744	555	राजेश शर्मा	20/02/18
10.	8244		राजेश शर्मा	20/02/18

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि---

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 51 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे(ग)(i)(ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है जो इस निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा रहा है (जो लागू हो उसे काट दें) और मुझे निम्नलिखित संविधानिक क्रम में (i) _____

(ii) _____

मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर.....हिन्दू.....(भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है।

(ड) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं.....लागू नहीं होता हूँ.....**जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो.....विहार राज्य के उस राज्य के.....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे.....विहार राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख.....20.2.18

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
अमिषाशसिंह

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

**उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

कृपया ध्यान दें:--“मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा(1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध(अपराधों) के लिए सिद्धोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर “हां” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....X.....

(ii) पुलिस थाना(थाने).....X..... (जिला)(जिले).....X..... (राज्य).....X.....

(iii) संबद्ध अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धोष ठहराया गया था.....X.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें).....X.....

- वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था..... नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड (कारावास (करवासी) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें।..... नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियाँ) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ)..... नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके(जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..... ×

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... ×

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे..... ×

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है..... ×

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, ब्यौरे दीजिए.....

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरर्हित किए जाने की अवधि.....

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान अष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?..... (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख.....

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति है/संयुक्त गैर या न्याय द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववादी सविदा(सविदाएँ) रखता है (जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी नाल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए समर्थ के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?..... (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो कौन सी सरकार के साथ है और भागीदारी सविदा(ओं) के ब्यौरे.....

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकारी या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है?.....(हां/नहीं)

-यदि हां, निरहरण की तारीख.....

स्थान: जयपुर
तारीख: 20.2.18

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
श्रीम प्रकाश सिंह

भाग 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०.....22.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 20/2/18 (तारीख) को 2:58 PM (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्तावक श्रीम प्रकाश सिंह (निगम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 20/2/18 श्रीम प्रकाश सिंह

20/2/18
रिटनिंग आफिसर

*लागू होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

.....

तारीख..... रिटनिंग आफिसर

(छिद्रण)



11. 10. 2017

$$E=0006100 \approx 26$$

175283

INDIA

क्र. १३११

20-2-18

प्ररूप 26

पिप्ल / पापि ३

निष्ठापूर्वक ३३५

दिखावट में है।

अभिगच्छी पक्षः

અધિવસતા ને જિ

सिन्हासनात् मोदते भगवान् कर्मजम्



જાણી વિધાન સભા

निर्वाचन क्षेत्र सं.

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

2. (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं श्रीकांत एकादश सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीकांत सिंह आयु ५१ वर्ष,
जो (आप का पूरा पता लिखें) ५०० - भि. वि. रोड, गुरुद्वारा जं. - श्रीवास्तव, राणा
श्रीवास्तव, श्रीवास्तव का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं श्री ७ प्रकाश सिंह (**राजनैतिक दल का नाम)
द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम मनुष्य विचार विचार क्षेत्र और राज्य का नाम) निर्वाचन
 मैं भाग सं. 80 के कम सं. 714 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे..... संपर्क दूरभाषा संख्या/संख्याएं हैं/हैं और..... मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i).....(ii).....(iii)..... मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पता	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	HA4P50262M	शुरू	शुरू
	पति या पत्नी	शुरू	शुरू	शुरू
	आश्रित - 1	शुरू	शुरू	शुरू
	आश्रित - 2	शुरू	शुरू	शुरू
	आश्रित - 3	शुरू	शुरू	शुरू

15) संसाधन किसी व्यक्ति या व्यवस्था से दो बार या अधिक के उपयोग से उत्पन्न किसी उपयोग (अवस्था) को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इससे संसाधन सीमित होता है। व्यवस्था के द्वारा संसाधन विस्तृत किया जा सकता है।

५३

अभिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	१
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

यदि अभिराक्षी उपरोक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(i) इन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है

नहीं

(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	X
(घ)	क्या सिद्धोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे : $2\frac{1}{2}$ वि० की मालीन

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं। X

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए। X

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रितनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	500	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा योजनों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	X				
(iv)	वित्तीय बचत योजना, आक बचत योजना पालिसियों में	X				

	विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	नहीं				
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं				
(vii)	जवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं				
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं				
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	2 1/2 कि०				
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शाखा 2045				
	नया/विद्यमान में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं				
	स्वाजिल संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं				
	क्रय के समय भूमि की दशा में (क्रय की दशा में)	नहीं				
	विकास, सोनेमोण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं				

	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं				
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	नहीं				
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)					

	कुल माप)				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं			
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं			
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं			
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य				

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं				
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं				
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी आवास, सरकारी आवास से संबंधित वाले विभागों को शोध्य	नहीं				
	जैसे, आवास से संबंधित वाले विभागों को शोध्य	नहीं				
	विद्युत, निकाय से संबंधित					

	वाले विभाग को शोध्य				
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं			
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं			
	आग-कर शोध्य	नहीं			
	धनकर शोध्य	नहीं			
	सेवाकर शोध्य	नहीं			
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	नहीं			
	विक्रयकर शोध्य	नहीं			
	कोई अन्य शोध्य	नहीं			
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नहीं			
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं			

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(क) स्वयं कुर्बी

(ख) पति या पत्नी कुर्बी

“(9क) आय के (स्त्रोतों) के ब्यौरे

(क) स्वयं कुर्बी

(ख) पति या पत्नी कुर्बी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

सि.क.अ.ब.स.

(प्रमाणपत्र/डिग्री/पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस पर जिसने पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

आगत-सु

(11) आय के के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे या उद्धरण

आगत-सु

आगत-सु

आगत-सु

डाक का पूरा नाम		205	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		205	
उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)		स्वतंत्र	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से निम्न]	नहीं	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	नहीं	
7.	...का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी		
	(ख) पति या पत्नी		
	(ग) आश्रित		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)		
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी
	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	आश्रित-1	आश्रित-2
	स्थावर आस्तियां	आश्रित-3	
I.	स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत		
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति		
	विक्रय/संनिमोष लागत (यदि)		

		वर्तमान बाजार कीमत	X				
		(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	X				
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X				
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं				
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X				
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X				
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>डी.बी.एस.</u> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :

(क) मैं विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामला नहीं

जो मेरे पास या मेरी जानकारी के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्तियां या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख..... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के सम्मुख शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत की संविधान का अनुच्छेद 173(4))

मैं श्रीम प्रकाश सिंह जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए
अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं
विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राष्‍ट्रीय श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की सम्प्रभुता
और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

श्रीम प्रकाश सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती श्रीम प्रकाश सिंह आज दिनांक 20/7/18 माह
2018 को निर्वाची पदाधिकारी, 205-11/3-20 विधान सभा आम निर्वाचन क्षेत्र
उत्तरांचल प्रदेश के कार्यालय प्रकोष्ठ में 5:30 PM बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ
ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

श्रीम प्रकाश सिंह

20/7/18
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम और मुहर।